

न्यायालय:- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला-अशोकनगर
(पीठासीन अधिकारी:-जफर इकबाल)

फाइलिंग नंबर 235103000412013

दांडिक प्रकरण क.-396 / 13

संस्थापित दिनांक-01.11.13

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर । <div>.....अभियोजन</div>	
विरुद्ध	
01-सुनील पुत्र श्यामलाल विश्वकर्मा उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम बासी थाना जखौरा । <div>.....आरोपी</div>	
राज्य द्वारा	:- श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ. ।
आरोपी द्वारा	:- श्री जाफरी अधिवक्ता ।

—: निर्णय :-

(आज दिनांक 28.07.2017 को घोषित)

01- आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपी के विरुद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 506(बी), 507 एवं 67(ए), 66(ए) आईटी एक्ट के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया ।

02- प्रकरण में आरोपी की गिरफ्तारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है ।

03— अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले के फरियादी वीरपाल सिंह ने दिनांक 16.05.13 को आरक्षी केंद्र चंदेरी में इस आशय का आवेदन दिया कि उसके मोबाइल नंबर 9685135384 पर एक व्यक्ति अपने मोबाइल नंबर 08858105862 से बात करता है व उसकी पत्नी प्रीति यादव से बात कराने के लिए कहता है। उक्त फोन उसके पास कई दिनों से आ रहा था, किंतु उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसके पास उस समय कई बार आने से एवं उस नंबर उसे अश्लील गालियां देने एवं अश्लील एसएमएस आने से उसने लेखी आवेदन पेश किया। पहले फोन अलग-अलग नंबरों से आता था एवं उसे व उसके परिवार वालों को मारने, पीटने की कहता था एवं उन्हें जान से मारने की धमकी देता था। फरियादी का कहना है कि वह फोन पर उस व्यक्ति की आवाज पहचानता है, क्योंकि वही व्यक्ति उसे अलग-अलग नंबरों से फोन लगाकर उससे बात करता था। उसे पता चला कि इसी तरह से अन्य लोगों पर भी फोन आए। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 179/13 के अंतर्गत भादवि की धारा 506(बी), 507 एवं 67(ए) आईटी एक्ट के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04— प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा 506बी, 507 एवं सूचना एवं प्रौद्योगिकी की धारा 67(ए) एवं 66(ए) के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपी का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण किया गया। आरोपी ने बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

05— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :—

1. क्या आरोपी ने दिनांक 16.05.13 के पूर्व से ग्राम पगरा अंतर्गत थाना चंदेरी में फरियादी के मोबाइल नंबर 9685135384 पर अपने मोबाइल नंबर 08858105862 से फोन कर संत्रास कारित करने के आशय से

- जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?
2. क्या आरोपी ने उक्त घटना, दिनांक, समय व स्थान पर पूर्व से फरियादी के मोबाईल पर अपने मोबाईल से अनाम संसूचना से अपने आपको छिपाते हुए फरियादी को धमकी दी ?
 3. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर पूर्व से अपने मोबाईल नंबर से फरियादी के मोबाईल पर अश्लील एस एम एस भेजकर भ्रष्ट व्यवहार हेतु उन्मोदित किया ?
 4. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर अपने मोबाइल से फरियादी के मोबाइल पर फोन करके धमकाने वाली प्रवृत्ति की सूचना भेजी ?

--:: सकारण निष्कर्ष ::--

06— प्रकरण में अभिलेख पर आई हुई साक्ष्य आपस में संशक्त एवं अंतर्वलित है। अतः ऐसी स्थिति में साक्ष्य की पुनरावृत्ति के दोषनिवारणार्थ विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 लगायत 03 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 वीरपाल, अ.सा. 02 प्रीति, अ.सा. 03 अब्दुल हमीद खां, अ.सा. 04 रामकिशोर झरवडे, अ.सा. 05 प्रतिपाल, अ.सा. 06 प्रहलाद, अ.सा. 07 एसआई माशी खां की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।

07— अभियोजन साक्षी 01 वीरपाल ने अपने कथन में बताया है कि उसके मोबाइल नंबर पर फोन आता था जिससे अश्लील गालियां दी जाती थीं एवं जान से मारने की धमकी दी जाती थी। उक्त साक्षी के अनुसार फोन करने वाला व्यक्ति उससे उसकी पत्नी प्रीति से बात करने की कहता था। उक्त साक्षी के अनुसार अलग-अलग नंबरों से भी फोन आता था और जब पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया तब उसने उसको पहचान लिया था। अ.सा. 01 के अनुसार उसने थाने में प्रपी 01 का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था जिसके आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रपी 02 लेखबद्ध की गई थी।

उक्त साक्षी के अनुसार आरोपी उन्हें फोन करके उनकी इज्जत खराब करने के लिए कहता था। अ.सा. 02 प्रीति ने भी अपने कथन में बताया है कि आरोपी मोबाइल पर फोन लगाता था और गालियां देता था। उक्त साक्षी के अनुसार आरोपी पकड़े जाने से पहले एक वर्ष से उन्हें परेशान कर रहा था। उक्त साक्षी के अनुसार आरोपी गाली देकर मिलने के लिए कहता था।

08— अ.सा. 06 प्रहलाद ने भी अपने कथन में बताया है कि उसने आरोपी को वर्ष 2013 में थाने में देखा था। उक्त साक्षी के अनुसार आरोपी नाम बदल-बदल कर फोन पर गालियां देता था। उक्त साक्षी के अनुसार आरोपी को पुलिस ने वर्ष 2013 में पकड़ा था तथा प्रपी 04 के अनुसार गिरफ्तार किया था। अ.सा. 06 के अनुसार पुलिस ने आरोपी से एक सिम एवं एक मोबाइल प्रपी 03 के अनुसार जप्त किए थे जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। अ.सा. 05 प्रतिपाल पक्षद्रोही हो गया है। उक्त साक्षी के अनुसार वह आरोपी को नहीं जानता। उक्त साक्षी के अनुसार उसके समक्ष कोई जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही नहीं हुई। अ.सा. 05 के अनुसार उसने प्रपी 03 एवं प्रपी 04 पर थाने में हस्ताक्षर किए थे।

09— अ.सा. 03 अब्दुल हमीद ने अपने कथन में बताया है कि उसके मोबाइल फोन पर आरोपी मोबाइल से फोन करता था और अश्लील गालियां देता था। उक्त साक्षी के अनुसार उसे फरियादी वीरपाल ने ये बताया था कि आरोपी उसे फोन करके गाली गलौच करता है तथा उसकी पत्नी से बात करवाने को कहता है तथा उसे जान से मारने की धमकी देता है। उक्त साक्षी के अनुसार आरोपी उसे भी फोन करके गालियां देता था तथा जान से मारने की धमकी भी देता था। अ.सा. 04 रामकिशोर झरवडे जो कि मामले का विवेचक है उसके द्वारा अपने कथन में बताया गया है कि उसने प्रकरण में प्रसूरि प्रपी 02 लेखबद्ध की थी। उक्त साक्षी के अनुसार फरियादी ने उपस्थित होकर उसे आवेदन दिया था जिसके आधार पर उसने प्रपी 02 लेखबद्ध की थी। उक्त साक्षी के अनुसार उसने विवेचना के दौरान साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किए

थे एवं आरोपी से प्रपी 03 के अनुसार मोबाइल सिम एवं एक मोबाइल फोन जप्त किया था। उक्त साक्षी के अनुसार उसने प्रपी 05 की सीडीआर एवं सिम धारक की जानकारी प्रकरण में प्रस्तुत की थी। अ.सा. 07 एएसआई माशी खां द्वारा प्रकरण में धारा 65बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना व्यक्त किया गया है। उक्त साक्षी के अनुसार प्रपी 07 के बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी के अनुसार उसने प्रस्तुत प्रकरण में मोबाइल नंबर 8858105862 की कॉल डिटेल् रिपोर्ट तैयार की थी जो प्रपी 06 है जिसके समर्थन में प्रपी 07 का प्रमाण-पत्र उसने जारी किया था।

10— अभियोजन द्वारा जो साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है उसके अवलोकन से प्रकट होता है कि मामले का फरियादी अ.सा. 01, साक्षी अ.सा. 02 एवं अ.सा. 03 ने स्पष्ट रूप से अपने कथन में बताया है कि उक्त आरोपी द्वारा मोबाइल फोन पर बार-बार फोन लगाया जाता था तथा अश्लील गालियां दी जाती थीं एवं जान से मारने की धमकी दी जाती थी। उल्लेखनीय है कि अ.सा. 06 ने अपने कथन में बताया है कि उसके समक्ष आरोपी को गिरफ्तार किया गया था तथा उसके समक्ष प्रकरण में जप्तशुदा मोबाइल फोन एवं सिम आरोपी से प्रपी 03 के अनुसार जप्त की गई थी। इस प्रकार अ.सा. 6 ने प्रपी 03 की कार्यवाही को प्रमाणित किया है। अ.सा. 06 की साक्ष्य से यह भी प्रमाणित हो रहा है कि आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। अ.सा. 01 ने अपने कथन में स्पष्ट रूप से बताया है कि उसने आरोपी की आवाज से उसे थाने में पहचाना था। प्रकरण में एक व्यक्ति द्वारा मोबाइल फोन पर बार-बार फोन कर अश्लील गाली देना एवं जान से मारने की धमकी देने की घटना है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि कोई भी व्यक्ति चाहे वह फरियादी हो या साक्षी हो वह आरोपी को नाम एवं शक्ल से नहीं पहचान सकता। इसके लिए आवश्यक है कि अभियोजन अन्य साक्ष्य से यह प्रमाणित करे कि प्रकरण का आरोपी ही वह व्यक्ति है जिसके द्वारा प्रकरण में जप्तशुदा मोबाइल एवं सिम से बार-बार फोन किए जाते थे तथा अश्लील गालियां एवं जान से मारने की धमकी दी जाती थी। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि अ.सा. 06 ने इस तथ्य को प्रमाणित किया है कि आरोपी से ही प्रकरण में जप्तशुदा मोबाइल एवं सिम जप्त

किए गए थे। अन्य साक्ष्य से यह निष्कर्ष देना है कि क्या प्रकरण में जप्तशुदा मोबाइल, सिम से बार-बार फोन कर अश्लील गालियां दी गई एवं जान से मारने की धमकी दी गई।

11— अ.सा. 07 के द्वारा प्रकरण में धारा 65बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण-पत्र प्रपी 07 प्रस्तुत किया गया है जिससे कि प्रपी 06 के तथ्य प्रमाणित हो रहे हैं। प्रपी 06 के अवलोकन से प्रकट होता है कि आरोपी द्वारा उक्त सिम से फरियादी एवं अन्य साक्षीगण को मोबाइल फोन से फोन किए गए। प्रकरण में जहां यह प्रमाणित हो रहा है कि आरोपी से जप्तशुदा सिम जप्त की गई थी, ऐसी दशा में यह निष्कर्ष दिया जा सकता है कि आरोपी द्वारा ही उक्त मोबाइल सिम से फरियादी एवं अन्य साक्षीगण को फोन किया गया तथा फोन करके अश्लील गालियां दी गई एवं जान से मारने की धमकी भी दी गई। उल्लेखनीय है कि मामले की फरियादी अ.सा. 01 या किसी अन्य साक्षी ने अपने कथनों में यह नहीं बताया है कि आरोपी द्वारा अश्लील एसएमएस भी भेजे गए थे जो कि धारा 161 दफ़्तार के अंतर्गत दिए गए कथनों से भिन्न है। इस प्रकार प्रकरण में अभिलेख पर आई हुई साक्ष्य से यह प्रमाणित हो रहा है कि आरोपी द्वारा फरियादी को फोन करके उसे जान से मारने की धमकी दी गई तथा आरोपी ने अपने आप को छुपाते हुए फरियादी को धमकी भी दी। उक्त तथ्य न केवल अ.सा. 01 की साक्ष्य से प्रमाणित हो रहा है, बल्कि अ.सा. 02 एवं अ.सा. 03 की साक्ष्य से भी प्रमाणित हो रहा है। उल्लेखनीय है कि अ.सा. 01 लगायत अ.सा. 03 की साक्ष्य की संपुष्टि अ.सा. 6 एवं अ.सा. 07 की साक्ष्य से हो रही है। प्रकरण में अभिलेख पर आई हुई साक्ष्य से यह प्रमाणित हो रहा है कि आरोपी ने मोबाइल फोन से जो कि संसूचना को साधन है, फरियादी एवं अन्य साक्षीगण को धमकाने वाली प्रकृति का संदेश भेजा, किंतु यह प्रमाणित नहीं हो रहा कि आरोपी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप में लैंगिक प्रदर्शन आदि वाली सामग्री को प्रकाशित या पारेषित किया।

12— उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि

अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करने में सफल रहा है। परिणामतः आरोपी को भादवि की धारा 506 भाग-दो, 507 एवं धारा 66 (ए) सूचना प्रोद्योगिकी अधिनियम के आरोप में सिद्धदोष पाते हुए दोषसिद्ध किया जाता है तथा आरोपी को धारा 67 (ए) सूचना प्रोद्योगिकी अधिनियम से दोषमुक्त किया जाता है।

13— आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया। आरोपी एवं उनके अधिवक्ता को दण्ड के प्रश्न पर सुनने के लिए निर्णय थोड़ी देर के लिए स्थगित किया गया।

(जफर इकबाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चन्देरी जिला-अशोकनगर

पुनश्च:-

14. आरोपी के विद्वान अधिवक्ता श्री जाफरी का निवेदन है कि उक्त अपराध आरोपी का प्रथम अपराध है और उनका कोई पूर्व आपराधिक रिकार्ड नहीं है। अतः उनका निवेदन है कि आरोपी को परिवीक्षा का लाभ देकर छोड़ दिया जावे। प्रकरण में स्पष्ट है कि आरोपी द्वारा उक्त अपराध कारित किया गया है तथा कई व्यक्तियों को मोबाइल के माध्यम से न केवल परेशान किया गया है, बल्कि सूचना के माध्यम का खुल्लम-खुल्ला दुरुपयोग किया गया है। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण गंभीर प्रकृति का है। अतः उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए यदि आरोपी को परिवीक्षा का लाभ दिया जाता है तो उसका गलत संदेश समाज में जाने की संभावना है। अतः ऐसी स्थिति में आरोपी को परिवीक्षा अधिनियम की धारा 3 एवं 4 का लाभ दिया जाना समीचीन प्रतीत नहीं होता।

15. जहां तक दण्ड का प्रश्न है तो निश्चित रूप से आरोपी को ऐसे दंडादेश

से दंडित करना उचित होगा जो कि उन्हें भविष्य में ऐसे अपराध से रोके और साथ ही उनके लिए शिक्षाप्रद हो। आरोपी को ऐसे दण्डादेश से दंडित करना उचित होगा जो कि उन्हें न केवल विधिक प्रक्रिया के प्रति गंभीर करे, बल्कि उन्हें यह भी बोध हो कि यदि किसी के द्वारा सूचना के माध्यम का दुरुपयोग किया जाता है तो ऐसी दशा में उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में आरोपी को भा.द.वि. की धारा 506 भाग-दो के अपराध में 1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड के व्यतिक्रम में आरोपी 7 दिवस का साधारण कारावास भोगेगा। आरोपी को भा.द.वि. की धारा 507 के अपराध में 1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड के व्यतिक्रम में आरोपी 7 दिवस का साधारण कारावास भोगेगा। आरोपी को धारा 66 (ए) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अपराध में 1 वर्ष के साधारण कारावास एवं 1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड के व्यतिक्रम में आरोपी 15 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगेगा। प्रकरण में अभियोजन की ओर से क्षतिपूर्ति के संबंध में कोई तर्क नहीं किया गया और अभिलेख पर ऐसी कोई साक्ष्य भी नहीं आई है, जिससे कि फरियादी को क्षतिपूर्ति दिलाया जाना समीचीन प्रतीत होता हो।

16. आरोपी के जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं।

17. प्रकरण में जप्तशुदा सफेद रंग का लावा कंपनी का मोबाइल, काले रंग का लावा कंपनी का मोबाइल कुल दो मोबाइल मुताबिक जप्ती पंचनामे मूल स्वामी को स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने पर वापस किए जावें। अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के निर्देशों का पालन हो।

18. आरोपी अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

19. आरोपी का सजा वारंट तैयार किया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(जफर इकबाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)